संख्या-28/2015/1066/26-3-2015-10(27)/99-टी0सी0

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-05/भा0भ0/2015-16 दिनांक 08.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजना छत्रपति शाहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में खर्चो को वहन करने के लिए रू0 1,68,44,000/-(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख चैवालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि हजार रूपयों में)

अनुदानसंख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि
अनुदान संख्या-80-आयोजनेतर-		
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-		
277-शिक्षा-		
17-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ-		
01-वेतन	3826	3826
02-मजदूरी	150	150
03-मँहगाई भत्ता	4591	4591
04-यात्रा व्यय	25	25
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

06-अन्य भत्ते	382	382
08-कार्यालय व्यय	300	300
09-विद्युत देय	2100	2100
10-जलकर/जल प्रभार	1000	1000
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	65	65
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50	50
13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	100
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2100	2100
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1000	1000
29-अनुरक्षण	250	250
43-सामग्री और सम्पूर्ति	25	25
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय-	10	10
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50	50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	60	60
49-चिकित्सा व्यय	300	300
योग	**16844**	**16844**

(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख चैवालिस हजार मात्र)

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से मानक मद सं0-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व-के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष पूर्ण विवरण सहित शासन की स्वीकृति प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन अन्य मदों की धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक हो,उसे प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराषि से वर्ष 2015-16 से संबंधित व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्षियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, इनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/ स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाय। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित समीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जायें। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नविनियोग न किया जाये। व्यय की मानक मद 04-यात्रा व्यय' के लिए आवंटित धनराशि के समक्ष होने वाले व्यय को इस प्रकार रेगुलेट किया जाय कि नियत यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता का नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित हो सके।

(5) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वितीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(6) कृपया सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाये। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था/किसान पेंशन को छोड़कर अन्य योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

सं0-28/2015/1066(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in